



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1) (बी) (xv)

1.3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया:

1.3.1. प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया:

विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित चैनलों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करता है। दिन-प्रतिदिन के निर्णय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसके नियमों में निर्धारित शक्तियों के अनुसार किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक अनुभाग अनुभाग अधिकारी और/या सहायक कुलसचिव की देखरेख में संचालित होता है। फाइलें मंजूरी/अनुमोदन के लिए कुलसचिव और/या कुलपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

1.3.2. अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी:

विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और सांविधिक निकाय अधिनियम/नियमों के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं:

<https://www.slbsrsv.ac.in/administration/statuary-body/executive-council>

<https://www.slbsrsv.ac.in/administration/statuary-body/finance-committe>

1.3.3. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।

प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों आदि के संबंध में लिंक नीचे दिए गए हैं:

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner>

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/ordinance-admission-students-university>

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/central-sanskrit-universities-act>

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/recruitment-rules>

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/delegation-powers>

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/rules-allotment-residential-quarters>

1.3.4. निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो:

विश्वविद्यालय में निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। सामान्यतः निर्णय लेने की समय-सीमा 3-5 कार्य दिवस होती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें वैधानिक निकायों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

1.3.5 संगठनात्मक चार्ट के अनुसार पर्यवेक्षण और जवाबदेही माध्यम :

विश्वविद्यालय संगठन चार्ट